

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ एवं
हाथरस।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए जनपदों में खोज एवं बचाव
के सामान्य उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह अवगत कराना है कि दैवी आपदाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासनादेश संख्या-1082/1-10-14-33(57)/2013, दिनांक 08.12.2014 द्वारा आपदाओं के प्रति जन सामान्य को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर उनके क्षमता संबर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम में ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान माकड्रिल के माध्यम से खोज एवं बचाव के सामान्य उपकरणों के प्रयोग कर आपदाओं के समय अपना एवं समुदाय के लोगों का बचाव किए जाने हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए जनपद स्तर पर प्रशिक्षण के लिए पूर्व में चिन्हित 120 ग्राम पंचायतों के लिए प्रति ग्राम पंचायत उपकरणों का एक सेट (मेगाफोन, फोल्डेबुल स्ट्रेचर, फर्स्ट एड किट, सेफ्टी हेलमेट, फायर एक्सटिंग्यूशर तथा जरीकेन) क्रय किये जाने का निर्णय लेते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है।

2. उक्त निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 1082/1-10-2014-33(57)/2013, दिनांक 08.12.2014 में उल्लिखित सूखा से सम्बन्धित उपकरणों को क्रय किये जाने के लिए निम्नानुसार रू० 1,43,10,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतालीस लाख दस हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	फतेहपुर	1590000
2	कौशाम्बी	1590000
3	रायबरेली	1590000

4	अमेर	1590000
5	सुल्तानपुर	1590000
6	गाजियाबाद	1590000
7	गौतमबुद्ध नगर	1590000
8	हापुड	1590000
9	हाथरस	1590000
	योग	14310000

3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि से उपकरणों का नियमानुसार क्रय शासनादेश दिनांक 08.12.2014 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि से उपकरणों के क्रय के पश्चात इसका उपभोग प्रमाण पत्र अलग से शासन को प्रेषित किया जाएगा। क्रय किये गये उपकरणों एवं उनके अभिलेखों का रख-रखाव जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
5. शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि से यदि कोई बचतें सम्भावित हो तो उन्हें वित्तीय वर्ष के समापन के पूर्व नियमानुसार समर्पित कर दी जाए।
6. किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाए। वित्तीय हस्तपुस्तिका/वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
7. व्यय की गयी धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाए और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाए।

भवदीया,

 (लीना जोहरी)

सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 128 (1)/1-10-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ०प्र०।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
8. समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग 10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव